

दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल
पर्यावास भवन, ब्लॉक नं0 1, द्वितीय तल (ए), जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

क्र0-ई-नीलामी सूचना क्रमांक-रेत/2016/

दिनांक-

रेत खनिज की विस्तृत ई-नीलामी सूचना

प्रबंध संचालक, दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के द्वारा, निम्न विवरण के अनुसार निगम में पक्ष में जिला होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, देवास, भिण्ड, दतिया, खरगौन, उमरिया में स्वीकृत रेत खदानों के समूहों से रेत उठाव एवं बिक्री कराने हेतु पात्र बोलीकर्ताओं से समूहवार "प्रथम वर्ष के प्ररक्षित मूल्य" (upset price) से उच्चतम मूल्य प्राप्त करने हेतु बोली आमंत्रित की जाती हैं। ठेके की अवधि अनुबंध करने की दिनांक से 31-03-2020, तक रहेगी। बोली आन-लाईन पोर्टल www.mpeproc.gov.in पर प्रस्तुत की जावेगी। ई-नीलामी आमंत्रण की विस्तृत सूचना, बोलीकर्ताओं को निर्देश, ठेके की समान्य शर्तें, परिशिष्ट (1 से 7 तक) एवं अनुबंध आदि दस्तावेज उपरोक्त वेबसाईट एवं www.mpsmcl.mp.gov.in/tenders.aspx, www.mp.gov.in/tenders_home तथा <http://ekhanij.mp.gov.in/AppPrevious/SMCsandtender.aspx> पर देखे एवं डाउनलोड किए जा सकते हैं। ई-नीलामी की समय सारणी निम्नानुसार है :-

1. आठवें चरण में ई-नीलामी में रखे जाने वाले समूहों का विवरण

Auction notification and start of payment of earnest money deposit (EMD) - date 01/02/2016 time 10:30 AM
End date and time of payment of EMD - date 25/02/2016 time 5:30 PM

ई-नीलामी का समय प्रातः 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक, दिनांक 29/02/2016

क्र०	उप कार्यालय का नाम	जिला	तहसील	समूहों का नाम	समूहों का कोड	सम्मिलित रेत खदानों की संख्या	रकबा (हे०)	ठेके की प्रथम वर्ष की मात्रा घ०मी०	ठेके के प्रथम वर्ष का प्ररक्षित मूल्य (रू.) (Upset/Reserved Price) (मात्रा x 125)	अमानत राशि (रू.) (अपसेट प्राईज का 10 प्रतिशत)	बोली क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	होशंगाबाद	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी-2	SMC0291	1	22.000	660000	82500000	8250000	द्वितीय बार
2	होशंगाबाद	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी-4	SMC0293	1	20.538	616140	77017500	7701750	द्वितीय बार
3	होशंगाबाद	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी-5	SMC0294	1	20.000	600000	75000000	7500000	द्वितीय बार
4	होशंगाबाद	होशंगाबाद	पिपरिया	पिपरिया-3	SMC0301	1	7.000	105000	13125000	1312500	द्वितीय बार
5	होशंगाबाद	होशंगाबाद	सिवनी मालवा	सिवनी मालवा-9	SMC0302	1	14.000	280000	35000000	3500000	द्वितीय बार
6	होशंगाबाद	होशंगाबाद	सिवनी मालवा	सिवनी मालवा-10	SMC0303	1	14.000	280000	35000000	3500000	द्वितीय बार
7	होशंगाबाद	होशंगाबाद	सिवनी मालवा	सिवनी मालवा-11	SMC0304	1	12.500	250000	31250000	3125000	द्वितीय बार
8	होशंगाबाद	होशंगाबाद	सिवनी मालवा	सिवनी मालवा-12	SMC0305	1	12.500	250000	31250000	3125000	द्वितीय बार
9	होशंगाबाद	होशंगाबाद	सोहागपुर	सोहागपुर-1	SMC0306	1	20.000	200000	25000000	2500000	द्वितीय बार
10	होशंगाबाद	होशंगाबाद	सोहागपुर	सोहागपुर-2	SMC0307	1	20.000	200000	25000000	2500000	द्वितीय बार

11	होशंगाबाद	होशंगाबाद	सोहागपुर	सोहागपुर-3	SMC0308	1	20.000	200000	25000000	2500000	द्वितीय बार
12	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद-8	SMC0008	1	10.555	168880	21110000	2111000	द्वितीय बार
13	होशंगाबाद	होशंगाबाद	बावई	बावई - 3	SMC0032	1	17.000	170000	21250000	2125000	द्वितीय बार
14	होशंगाबाद	होशंगाबाद	बावई	बावई - 9	SMC0038	1	15.000	127500	15937500	1593750	द्वितीय बार
15	होशंगाबाद	होशंगाबाद	बावई	बावई - 13	SMC0042	1	20.242	202420	25302500	2530250	द्वितीय बार
16	होशंगाबाद	होशंगाबाद	बावई	बावई - 14	SMC0043	4	20.000	200000	25000000	2500000	द्वितीय बार
17	होशंगाबाद	होशंगाबाद	इटारसी	इटारसी- 3	SMC0255	1	22.500	450000	56250000	5625000	द्वितीय बार
18	होशंगाबाद	होशंगाबाद	इटारसी	इटारसी- 4	SMC0256	1	22.500	450000	56250000	5625000	द्वितीय बार
19	होशंगाबाद	होशंगाबाद	इटारसी	इटारसी- 5	SMC0257	1	18.453	369060	46132500	4613250	द्वितीय बार
20	होशंगाबाद	होशंगाबाद	सिवनी मालवा	सिवनी मालवा-7	SMC0262	1	12.795	204720	25590000	2559000	द्वितीय बार
21	होशंगाबाद	होशंगाबाद	सिवनी मालवा	सिवनी मालवा-8	SMC0263	1	12.795	153540	19192500	1919250	द्वितीय बार
22	होशंगाबाद	होशंगाबाद	बावई	बावई - 18	SMC0279	1	17.500	236250	29531250	2953125	द्वितीय बार
23	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद-16	SMC0326	1	31.110	466650	58331250	5833125	द्वितीय बार
24	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद-17	SMC0327	1	31.110	435540	54442500	5444250	द्वितीय बार
25	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद-18	SMC0328	1	30.555	427770	53471250	5347125	द्वितीय बार
26	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद-40	SMC0329	1	34.965	279720	34965000	3496500	द्वितीय बार
27	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद-41	SMC0330	1	34.965	279720	34965000	3496500	द्वितीय बार
28	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद-42	SMC0331	1	34.965	279720	34965000	3496500	द्वितीय बार
29	होशंगाबाद	रायसेन	बरेली	बरेली - 2	SMC0309	1	10.000	100000	12500000	1250000	द्वितीय बार
30	होशंगाबाद	रायसेन	बरेली	बरेली - 3	SMC0310	1	20.000	200000	25000000	2500000	द्वितीय बार
	कुल योग					33	599.548	8842630	1105328750	110532875	

2. आठवें चरण में ई-नीलामी में रखे जाने वाले समूहों का विवरण

Auction notification and start of payment of earnest money deposit (EMD) -
End date and time of payment of EMD

date 01/02/2016 time 10:30 AM
date 26/02/2016 time 5:30 PM

ई-नीलामी का समय प्रातः 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक, दिनांक 01/03/2016

क्र०	उप कार्यालय का नाम	जिला	तहसील	समूहों का नाम	समूहों का कोड	सम्मिलित रेत खदानों की संख्या	रकबा (हे०)	ठेके की प्रथम वर्ष की मात्रा घ०मी०	ठेके के प्रथम वर्ष का प्ररक्षित मूल्य (रू.) (Upset/Reserved Price)(मात्रा x 125)	अमानत राशि (रू.) (अपसेट प्राईज का 10 प्रतिशत)	बोली क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	होशंगाबाद	रायसेन	बरेली	बरेली-6	SMC0313	2	24.000	240000	30000000	3000000	द्वितीय बार
32	होशंगाबाद	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा -1	SMC0050	6	29.163	192573	24071625	2407163	द्वितीय बार
33	होशंगाबाद	सीहोर	रेहटी	रेहटी- 4	SMC0059	1	23.247	139482	17435250	1743525	द्वितीय बार
34	होशंगाबाद	सीहोर	रेहटी	रेहटी- 5	SMC0060	1	24.000	144000	18000000	1800000	द्वितीय बार
35	हरदा	देवास	सोनकच्छ	सोनकच्छ -6	SMC0273	1	6.890	12000	1500000	150000	द्वितीय बार
36	हरदा	देवास	सोनकच्छ	सोनकच्छ -3	SMC0270	1	9.220	32000	4000000	400000	द्वितीय बार
37	हरदा	देवास	सोनकच्छ	सोनकच्छ -1	SMC0268	1	6.090	16000	2000000	200000	द्वितीय बार
38	ग्वालियर	दतिया	बड़ौनी	बड़ौनी - 2	SMC0177	1	21.000	42000	5250000	525000	द्वितीय बार
39	ग्वालियर	दतिया	बड़ौनी	बड़ौनी - 3	SMC0178	1	24.900	49800	6225000	622500	द्वितीय बार
40	ग्वालियर	दतिया	बड़ौनी	बड़ौनी - 4	SMC0179	1	14.350	28628	3578500	357850	द्वितीय बार
41	ग्वालियर	दतिया	बड़ौनी	बड़ौनी - 8	SMC0183	1	23.000	46000	5750000	575000	द्वितीय बार

42	ग्वालियर	दतिया	बड़ौनी	बड़ौनी – 10	SMC0185	1	24.094	48188	6023500	602350	द्वितीय बार	
43	ग्वालियर	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड – 3	SMC0141	4	22.670	106515	13314375	1331438	द्वितीय बार	
44	ग्वालियर	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड – 4	SMC0142	1	7.060	23400	2925000	292500	द्वितीय बार	
45	ग्वालियर	भिण्ड	रौन	रौन – 1	SMC0149	1	23.580	84888	10611000	1061100	द्वितीय बार	
46	ग्वालियर	भिण्ड	रौन	रौन – 2	SMC0150	3	23.220	104490	13061250	1306125	द्वितीय बार	
47	ग्वालियर	भिण्ड	रौन	रौन – 3	SMC0151	2	24.248	155232	19404000	1940400	द्वितीय बार	
48	धामनोद	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर – 1	SMC0201	4	20.000	105000	13125000	1312500	द्वितीय बार	
49	धामनोद	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर – 2	SMC0202	3	13.000	95250	11906250	1190625	द्वितीय बार	
50	धामनोद	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर – 4	SMC0204	1	14.430	56250	7031250	703125	द्वितीय बार	
51	धामनोद	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर – 7	SMC0207	1	20.000	75000	9375000	937500	द्वितीय बार	
52	धामनोद	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर – 8	SMC0208	1	21.450	82500	10312500	1031250	द्वितीय बार	
53	धामनोद	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर – 9	SMC0209	1	14.154	56250	7031250	703125	द्वितीय बार	
54	धामनोद	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर – 10	SMC0210	1	15.000	56250	7031250	703125	द्वितीय बार	
55	धामनोद	खरगोन	खरगोन	खरगोन-1	SMC0321	2	21.500	86000	10750000	1075000	द्वितीय बार	
56	धामनोद	खरगोन	खरगोन	खरगोन-2	SMC0322	3	22.000	88000	11000000	1100000	द्वितीय बार	
57	धामनोद	खरगोन	खरगोन	खरगोन-3	SMC0323	1	7.000	28000	3500000	350000	द्वितीय बार	
58	धामनोद	खरगोन	गोगावा	गोगावा-1	SMC0324	4	23.300	93200	11650000	1165000	द्वितीय बार	
59	धामनोद	खरगोन	गोगावा	गोगावा-2	SMC0325	2	13.200	52800	6600000	660000	द्वितीय बार	
60	धामनोद	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर – 11	SMC0211	2	8.000	55500	6937500	693750	द्वितीय बार	
	कुल योग						55	543.766	2395196	299399500	29939951	

3. आठवें चरण में ई-नीलामी में रखे जाने वाले समूहों का विवरण

Auction notification and start of payment of earnest money deposit (EMD) -
End date and time of payment of EMD -

date 01/02/2016 time 10:30 AM
date 29/02/2016 time 5:30 PM

ई-नीलामी का समय प्रातः 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक, दिनांक 02/03/2016

क्र०	उप कार्यालय का नाम	जिला	तहसील	समूहों का नाम	समूहों का कोड	सम्मिलित रेत खदानों की संख्या	रकबा (हे०)	ठेके की प्रथम वर्ष की मात्रा घ०मी०	ठेके के प्रथम वर्ष का प्ररक्षित मूल्य (रू.) (Upset/Reserved Price)(मात्रा x 125)	अमानत राशि (रू.) (अपसेट प्राईज का 10 प्रतिशत)	बोली क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	धामनोद	खरगौन	कसरावद	कसरावद -1	SMC0217	4	24.668	136500	17062500	1706250	द्वितीय बार
62	धामनोद	खरगौन	कसरावद	कसरावद -2	SMC0218	1	13.139	69375	8671875	867188	द्वितीय बार
63	धामनोद	खरगौन	कसरावद	कसरावद -3	SMC0219	1	21.928	115500	14437500	1443750	द्वितीय बार
64	धामनोद	खरगौन	कसरावद	कसरावद -5	SMC0221	1	14.990	112500	14062500	1406250	द्वितीय बार
65	ग्वालियर	भिण्ड	रौन	रौन - 6	SMC0154	1	24.730	123650	15456250	1545625	द्वितीय बार
66	ग्वालियर	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड-2	SMC0140	2	23.770	168632	21079000	2107900	प्रथम बार
67	कटनी	उमरिया	मानपुर	मानपुर - 4	SMC0317	2	13.389	200835	25104375	2510438	द्वितीय बार
68	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद-51	SMC0296	1	9.400	65800	8225000	822500	द्वितीय बार
69	होशंगाबाद	होशंगाबाद	बावई	बावई - 19	SMC0299	1	10.000	150000	18750000	1875000	द्वितीय बार
70	कटनी	उमरिया	चंदिया	चंदिया	SMC0089	2	6.073	48584	6073000	607300	द्वितीय बार

71	होशंगाबाद	होशंगाबाद	बावई	बावई - 2	SMC0031	3	9.405	122265	15283125	1528313	द्वितीय बार
72	होशंगाबाद	सीहोर	नसरुल्लागंज	नसरुल्लागंज -11	SMC0283	1	21.582	215820	26977500	2697750	द्वितीय बार
73	ग्वालियर	दतिया	बड़ौनी	बड़ौनी - 6	SMC0181	1	23.000	57500	7187500	718750	द्वितीय बार
74	ग्वालियर	भिण्ड	मेहगांव	मेहगांव - 6	SMC0148	2	16.190	112850	14106250	1410625	द्वितीय बार
75	हरदा	देवास	खातेगांव	खातेगांव 5	SMC0107	3	14.820	28600	3575000	357500	द्वितीय बार
76	हरदा	देवास	टोंकखुर्द	टोंकखुर्द - 3	SMC0277	1	8.760	10000	1250000	125000	द्वितीय बार
77	हरदा	देवास	टोंकखुर्द	टोंकखुर्द - 1	SMC0275	1	9.050	20000	2500000	250000	द्वितीय बार
78	होशंगाबाद	होशंगाबाद	बाबई	बाबई-20	SMC0332	1	10.000	100000	12500000	1250000	प्रथम बार
79	होशंगाबाद	होशंगाबाद	पिपरिया	पिपरिया-4	SMC0333	2	28.315	28315	3539375	353938	प्रथम बार
80	होशंगाबाद	होशंगाबाद	सोहागपुर	सोहागपुर-4	SMC0334	1	10.000	100000	12500000	1250000	प्रथम बार
81	होशंगाबाद	होशंगाबाद	सोहागपुर	सोहागपुर-5	SMC0335	1	10.000	100000	12500000	1250000	प्रथम बार
82	होशंगाबाद	होशंगाबाद	सोहागपुर	सोहागपुर-6	SMC0336	1	12.038	12038	1504750	150475	प्रथम बार
83	होशंगाबाद	होशंगाबाद	सोहागपुर	सोहागपुर-7	SMC0337	1	5.694	5694	711750	71175	प्रथम बार
84	होशंगाबाद	होशंगाबाद	सोहागपुर	सोहागपुर-8	SMC0338	1	5.000	5000	625000	62500	प्रथम बार
85	होशंगाबाद	होशंगाबाद	सोहागपुर	सोहागपुर-9	SMC0339	1	5.144	5144	643000	64300	प्रथम बार
86	होशंगाबाद	होशंगाबाद	सोहागपुर	सोहागपुर-10	SMC0340	1	7.607	7607	950875	95088	प्रथम बार
87	होशंगाबाद	होशंगाबाद	सोहागपुर	सोहागपुर-11	SMC0341	1	4.911	4911	613875	61388	प्रथम बार
88	होशंगाबाद	होशंगाबाद	पिपरिया	ढाँढियाकिसोर	SMC0342	1	8.522	42610	5326250	532625	प्रथम बार
	कुल योग					40	372.125	2169730	271216250	27121626	

अन्य जानकारी :-

1. बोलीकर्ता को प्रथमबार आन लाइन पंजीयन www.mpeproc.gov.in पोर्टल पर करना होगा जिसकी फीस रू0 500 /- (सर्विस टैक्स अतिरिक्त) देय होगी जिसके आधार पर बोलीकर्ता खनिज निगम की ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकता है । यह रजिस्ट्रेशन कभी भी कराया जा सकता है तथा इस रजिस्ट्रेशन के पश्चात बोलीकर्ता म.प्र. शासन के किसी भी ई-निविदा या ई-नीलामी प्रक्रिया में पूरे वर्ष भाग ले सकता है।
2. प्रोसेसिंग फीस जो कि आरक्षित मूल्य के आधार पर रू0 250 से 1300 /-(सर्विस टैक्स अतिरिक्त) के बीच होगी, का भी ई-पेमेंट के द्वारा बोलीकर्ता को भुगतान करना होगा।
3. अमानत राशि – ठेके की अमानत राशि आरक्षित मूल्य (upset Price) का 10% (दस प्रतिशत) निर्धारित की गई है जिसे निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सिस्टम द्वारा उत्पन्न चालान के माध्यम से NEFT/RTGS (बैंक प्रभार अतिरिक्त जमा करना होगा) के द्वारा भुगतान करना होगा।
4. बोलीकर्ता वेबसाइट www.mpeproc.gov.in पोर्टल पर लॉग-इन करके रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस एवं अमानत राशि जमा करके नीलामी में भाग ले सकेगा। बोलीकर्ता स्वयं यह समाधान कर लें कि वह आन लाइन बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित पात्रता रखता है। *निर्धारित पात्रता न होने पर अनुबंध के समय बोलीकर्ता की बोली निरस्त कर अमानत राशि समपद्धत की जावेगी।*

5. ई-नीलामी प्रक्रिया हेतु पोर्टल में पंजीयन, भुगतान प्रक्रिया तथा ई-नीलामी प्रक्रिया का प्रशिक्षण –

बोलीकर्ता ई-नीलामी प्रक्रिया हेतु पोर्टल में पंजीयन करने, भुगतान प्रक्रिया तथा ई-नीलामी प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं तत्संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के हेल्प डेस्क फोन नं0 18002588684 (टोल फ्री) पर किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 7.00बजे तक संपर्क कर सकते हैं। साथ ही ई-मेल आई.डी. eproc_helpdesk@mpsdc.gov.in पर अपनी पृच्छा कर सकते हैं।

6. आन लाइन बोली की प्रक्रिया –

- 6.1 आन लाइन बोली निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रारंभ होगी।
- 6.2 बोलीकर्ता उच्चतम बोली को ऑन-लाइन अवलोकन कर सकेंगे तथा न्यूनतम रू0 50,000 /- या उसके गुणांक (multiples) में उससे उच्च बोली लगा सकेंगे।
- 6.3 बोली समाप्त होने के 10 मिनट के अंदर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली के समय में स्वतः 10 मिनट की वृद्धि हो जाएगी एवं इसी प्रकार वृद्धि होती रहेगी जब तक अंतिम बोली प्राप्त न हो जाए।

7 रेत खनिज हेतु निगम की ई-नीलामी की प्रक्रिया संबंधी निर्देश

- 7.1 बोलीकर्ता को प्रथमबार ऑन-लाइन पंजीयन www.mpeproc.gov.in पोर्टल पर करना होगा जिसकी फीस रू0 500/- (सर्विस टैक्स अतिरिक्त) देय होगी।
- 7.2 www.mpeproc.gov.in पर क्लिक करने पर एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आपसे यूजर नेम एवं पासवर्ड मांगा जायेगा। यदि आप नये यूजर हैं तो ऐसी स्थिति में आपको न्यू यूजर के आप्शन पर क्लिक करना होगा।
- 7.3 न्यू यूजर के आप्शन पर क्लिक करने से एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें दर्शाये गये विवरण को दर्ज करना होगा। सम्पूर्ण विवरण दर्ज करने के पश्चात् आपको नियम तथा शर्तों को स्वीकार करना होगा तथा विंडो में दर्शित क्चेका को दर्ज कर अपना पंजीयन कराना होगा। विंडों में पोर्टल शुल्क के रूप में आपसे रूपये 500/- (सर्विस टैक्स अतिरिक्त) का भुगतान इसी प्रक्रिया में किया जाना होगा।
- 7.4 इस प्रक्रिया को पूर्ण करने पर पोर्टल के विंडो पर आपके द्वारा किया गया पंजीयन सफलतापूर्वक किया गया है, इसका संदेश प्राप्त होगा। आप यदि चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार किया गया पंजीयन एक वर्ष के लिए वैध होगा।
- 7.5 उपरोक्त प्रक्रिया के उपरांत आपको सिस्टम द्वारा उत्पन्न यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। आप इस पासवर्ड को ऑन-लाइन पोर्टल पर परिवर्तित भी कर सकते हैं। इस यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कर सकेंगे। इस पासवर्ड को सुरक्षित एवं गोपनीय रखने की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।
- 7.6 www.mpeproc.gov.in पोर्टल पर यूजर आईडी तथा पासवर्ड भरने के पश्चात एक्टिविटी वाले कॉलम में आपको "आक्शन" का चयन करना होगा।

8 ई-नीलामी में भाग लेने के पूर्व की प्रक्रिया

- 8.1 ई-नीलामी की सूचना म0प्र0 स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि. द्वारा जारी की जायेगी। इस सूचना में खदानों की सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्ररक्षित मूल्य भी दर्शित की जायेगी। यह सूचना नीलाम दिवस के 21 दिवस पूर्व 2 राष्ट्रीय एवं 4 मध्यप्रदेश के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी। इस सूचना में खदान की ई-नीलामी किये जाने का दिनांक एवं इसके प्रारंभ होने तथा समाप्त होने का समय अंकित किया जायेगा।
- 8.2 ई-नीलामी की सूचना www.mpeproc.gov.in, www.mpsmcl.mp.gov.in/tenders.aspx, <http://ekhanij.mp.gov.in/AppPrevious/SMCsandtender.aspx> एवं www.mp.gov.in/tenders_home पोर्टल में नीलामी के 21 दिवस पूर्व प्रदर्शित होने लगेगी।
- 8.3 सूचना प्रदर्शित होने के पश्चात जिस भी समूह के लिए बोलीकर्ता ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक है उस समूह का चयन पोर्टल पर इच्छुक समूह को

करना होगा। चयनित समूह की ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए विंडो में दर्शित शर्तों के पालन की स्वीकार्यता ऑनलाइन की जानी होगी। स्वीकार्यता होने पर प्ररक्षित मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि (अमानत राशि) के भुगतान का आग्रह विंडो में प्रदर्शित होगा।

- 8.4 अमानत राशि (EMD) का ऑनलाइन भुगतान सिस्टम द्वारा चालान के माध्यम से आरटीजीएस/एनआईएफटी के माध्यम से किया जा सकेगा।
- 8.5 अमानत राशि का भुगतान नीलाम दिवस के पूर्व निर्धारित तिथि तक किया जा सकेगा।

9. ई-ऑक्शन की प्रक्रिया-

- 9.1 नीलामी की सूचना में दर्शित समय के पूर्व इच्छुक बोलीकर्ता को www.mpeproc.gov.in पोर्टल में पंजीयन के समय प्राप्त यूजर आईडी एवं पासवर्ड दर्ज करके प्रविष्टि करना होगा।
- 9.2 पोर्टल में प्रविष्टि उपरांत एक्टिविटी विंडो में क्लिक करना होगा। इस विंडो में क्लिक करने के उपरांत आपको " auction " का चयन करना होगा।
- 9.3 Auction मोड के चयन उपरांत आपको खनिज निगम (Mining Corporation) का चयन करना होगा।
- 9.4 खनिज निगम (Mining Corporation) के चयन करने पर नीलाम में प्रदर्शित समूहों की सूची विंडो में दर्शित होगी।
- 9.5 समूहों की सूची में से जिस समूह या समूहों की बोली लगाये जाने के लिये आपके द्वारा अमानत राशि जमा की गई है, उनका चयन करना होगा।
- 9.6 म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि. के किसी भी समूह की बोली रु. 50,000/- या रु. 50,000 के गुणांकों में बढ़ाई जा सकेगी।
- 9.7 प्रत्येक बोलीदार के कम्प्यूटर के विंडो पर अन्य बोलीदारों की सर्वोच्च बोली ही प्रदर्शित होगी। उनकी पहचान पूर्णतः गोपनीय होगी।
- 9.8 बोली हेतु निर्धारित समयावधि की समाप्ति के पूर्व यदि उच्चतम बोली प्राप्त होती है तब नीलामी का समय 10 मिनट स्वतः बढ़ जायेगा। यह प्रक्रिया निरंतर चलेगी। यदि इस प्रक्रिया में उच्चतम बोली लगाये जाने के 10 मिनट उपरांत कोई बोली प्राप्त नहीं होती तब यह बोली अंतिम मान्य होगी तथा उस खदान की ई-नीलामी की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी। इसकी सूचना समस्त बोलीदारों के कम्प्यूटर पर प्रदर्शित होगी तथा इसकी सूचना रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर दी जायेगी।

- 9.9 सफलतम बोलीकर्ता को सर्वोच्च बोली की सूचना पंजीकृत ई-मेल एवं पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर प्रेषित की जायेगी। म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि. मुख्यालय भोपाल द्वारा उच्चतम बोली स्वीकार्य होने पर नियमानुसार ठेके का अनुमोदन एवं अनुबंध निष्पादन संबंधी आगामी कार्यवाही की जायेगी। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उच्चतम बोलीदार को सर्वोच्च बोली की सूचना प्राप्त होने का आशय बोली स्वीकृत होना नहीं है। बोली स्वीकृत होने की सूचना बोलीकर्ता को प्रथक से दी जावेगी।
- 10 मध्यप्रदेश शासन की वेबसाईट www.mpeproc.gov.in में रेत खनिज की ई-नीलामी मार्गदर्शिका उपलब्ध है, तदानुसार वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये, बोलीकर्ता ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे।

प्रबंध संचालक

दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड भोपाल


पर्यावास भवन, ब्लॉक नं0 1, द्वितीय तल (ए), जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

बोलीकर्ताओं को निर्देश

1- कार्य का विवरण -

- 1.1 **कार्य का स्वरूप:** म0प्र0 स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि0 को मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में रेत खदानें स्वीकृत हैं। इन जिलों की संबंधित तहसीलों के अंतर्गत स्वीकृत रेत खदानों को विभिन्न समूहों में बांटा गया है जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में दिया गया है। इन समूहों से रेत उठाव एवं बिक्री कराने हेतु भिन्न-भिन्न तिथियों में आनलाईन बोली आमंत्रित की जा रही है जिनका प्रचार-प्रसार विभिन्न समाचार पत्रों में किया गया है एवं यथा समय किया जाएगा तथा विस्तृत विवरण वेब साइट www.mpeproc.gov.in, www.mpsmcl.mp.gov.in/tenders.aspx, www.mp.gov.in/tenders_home तथा <http://ekhanij.mp.gov.in/AppPrevious/SMCsandtender.aspx> में प्रदर्शित किया गया है एवं यथा समय किया जायेगा।
- 1.2 **ऑफर मूल्य में प्रतिवर्ष बढ़ौत्तरी:** बोलीकर्ता को नीलामी सूचना में वर्णित अनुसार जिस ग्रुप के लिए वह बोली प्रस्तुत करने का इच्छुक है उस ग्रुप के लिए दर्शित आरक्षित मूल्य (upset Price) (अर्थात् प्रथम वर्ष का आरक्षित मूल्य) से अधिक मूल्य का ऑफर प्रथम वर्ष के लिए प्रस्तुत करेगा। बोलीकर्ता द्वारा ऑफर किया गया मूल्य प्रथम वर्ष में देय होगा। बोलीकर्ता को आगामी वर्षों में प्रतिवर्ष प्रथम वर्ष के ऑफर मूल्य का 5 प्रतिशत वृद्धि करके देना होगा। फलस्वरूप आगामी वर्षों में बोलीकर्ता द्वारा निम्नानुसार मूल्य देय होगा:-
- द्वितीय वर्ष में ऑफर मूल्य (प्रथम वर्ष का ऑफर मूल्य)+ ऑफर मूल्य का 5 प्रतिशत
 - तृतीय वर्ष में ऑफर मूल्य (प्रथम वर्ष का ऑफर मूल्य)+ ऑफर मूल्य का 10 प्रतिशत
 - चतुर्थ वर्ष में ऑफर मूल्य (प्रथम वर्ष का ऑफर मूल्य)+ ऑफर मूल्य का 15 प्रतिशत
 - पंचम वर्ष में ऑफर मूल्य (प्रथम वर्ष का ऑफर मूल्य)+ ऑफर मूल्य का 20 प्रतिशत
बोलीकर्ता को प्रत्येक वर्ष हेतु देय सम्पूर्ण मूल्य उसी वर्ष में जमा करना होगा अन्यथा वह आगामी अवधि में ठेका संचालन हेतु पात्र नहीं होगा तथा उसका ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।
 - वैट की राशि ऑफर मूल्य में सम्मिलित नहीं है। तथा इसे प्रति घन मीटर कुल वास्तविक उठाई गई मात्रा के आधार पर शासन की तय दर पर अलग से जमा करना होगा।

1.3 आनलाईन बोली प्रस्तुत करने हेतु पात्रता –

- (i) बोलीकर्ता का भारतीय नागरिक, फर्म या भारतीय कम्पनी होना अनिवार्य है। यदि बोलीकर्ता कम्पनी है तो उसका भारतीय कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- (ii) बोलीकर्ता दिवालिया न हो एवं जिन पर म.प्र. शासन के द्वारा आवंटित खदान एवं खनिज के संबंध में देय शासकीय राशि बकाया न हो।
- (iii) यदि बोलीकर्ता पूर्व से निगम द्वारा काली सूची (Black Listed) में डाला गया हो तो वह ऑन-लाईन बोली प्रस्तुत करने हेतु पात्र नहीं होगा।
- (iv) बोलीकर्ता को ई-नीलामी प्रोसेसिंग फीस का आन लाईन भुगतान करना अनिवार्य है।
- (v) बोलीकर्ता को निर्धारित आरक्षित मूल्य (अपसेट प्राइज) का 10 (दस) प्रतिशत अमानत राशि ऑन-लाईन एनईएफटी/आरटीजीएस (RTGS) द्वारा जमा करना अनिवार्य है।
- (vi) बोलीकर्ता को यह ऑन-लाईन निर्धारित अधिकार त्याग (Disclaimer) पर  करना होगा, कि उसने निगम द्वारा ऑन-लाईन जारी समस्त दस्तावेजों का अध्ययन कर लिया है तथा खदानों के भौतिक सत्यापन के उपरांत वह प्रत्येक शर्त से सहमत है। उसके पश्चात ही वह ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकेगा।
- (vii) निम्न दस्तावेज अनुबंध हस्ताक्षर के समय प्रस्तुत किये जाने होंगे :-
 - (i) आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN) की प्रति।
 - (ii) वाणिज्यिक कर सर्टिफिकेट क्रमांक (TIN) की प्रति।
 - (iii) बैंक खाता का पिछले तीन माहों का बैंक स्टेटमेंट।
 - (iv) बोलीकर्ता के कॉस्टीट्यूशन संबंधी दस्तावेज की प्रति।
 - 1- व्यक्तिगत के लिये – शपथ पत्र (परिशिष्ट-7)
 - 2- साझेदारी फर्म – साझेदारी डीड,
 - 3- कंपनी के लिये – मेमोरण्डम एंड आर्टिकल ऑफ एसो0
 - (x) बोलीकर्ता कंपनियों के द्वारा उनके समस्त संचालकों का पूर्ण विवरण यथा- उनके नाम, पते, फोन नं0, मोबाईल नं0, फेक्स नं0 एवं ई-मेल की जानकारी पृथक प्रपत्र में दिया जाना अनिवार्य है।

1.4 बोली एवं अनुबंध दस्तावेज –

बोली एवं अनुबंध दस्तावेज निम्नानुसार है –

- (i) ई-नीलामी सूचना (समाचार पत्रों में)
- (ii) विस्तृत ई-नीलामी सूचना
- (iii) बोलीकर्ताओं को निर्देश
- (iv) ठेके की सामान्य शर्तें

(v) परिशिष्ट 1,2,3,4,5,6,7

(vi) अनुबंध का प्रारूप

उपरोक्त समस्त दस्तावेज, जारी सूचना पत्र (Letter of Information), जारी आशय पत्र (Letter of Intent) तथा सफल बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त अभिलेख मिलकर अनुबंध का दस्तावेज बनेंगे जो चयनित बोलीकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि तथा निगम के अधिकृत अधिकारी के मध्य हस्ताक्षरित किया जाएगा जो उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा ।

1.5 कार्य योजना/ माईनिंग प्लान का पुनरीक्षण:

खदानों के विभिन्न समूह से प्रथम वर्ष में रेत उठाव हेतु निर्धारित मात्रा परिशिष्ट-1 में दर्शित है। यह मात्रा अनुमोदित अथवा प्रस्तावित माईनिंग प्लान की मात्रा है। वर्तमान में निगम की दर रू0 125/- प्रति घनमीटर है (रायल्टी रू0 100/- प्रति घन मीटर तथा निगम का संचालन व्यय रू0 25/- प्रति घन मीटर)। उच्चतम बोलीकर्ता द्वारा ऑफर किये गये मूल्य की एक वर्ष की माह-वार कार्य योजना इसी के आधार पर निगम द्वारा निर्धारित की जावेगी तथा उक्त आधार पर कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से एक वर्ष की रेत उठाव एवं बिक्री की कार्य योजना परिशिष्ट-4 अनुसार रहेगी। बोलीकर्ता के आवेदन पर प्रत्येक वर्ष में केवल एक बार कार्य योजना पुनरीक्षित करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा, किंतु बोलीकर्ता के आवेदन को मान्य करना निगम के लिए बंधनकारी नहीं होगा। यदि कार्य योजना में दर्शित वार्षिक मात्रा से कम मात्रा का उठाव एवं बिक्री किसी वर्ष में की जाती है तब भी सम्पूर्ण वार्षिक ठेका धन जमा करना होगा। ठेकेदार अनुमोदित खनन योजना में दर्शित मात्रा के अनुरूप खनन कार्य करेगा। अनुमोदित खनन योजना का यदि पुनरीक्षण किया जाता है तो वार्षिक ठेका धन अनुपातिक रूप से पुनरीक्षित हो सकेगा। खनन योजना पुनरीक्षित होने की स्थिति में आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जानी होगी। यदि किसी वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुमोदित खनन योजना में दर्शित वार्षिक खनन योग्य मात्रा से 20 प्रतिशत कम तक हो तो इस मात्रा की अनुमति आगामी वर्ष में दी जा सकेगी। परन्तु उस वर्ष हेतु उतनी मात्रा के निर्धारित ठेकाधन के अंतर की राशि जमा किया जाना होगा। सम्पूर्ण ठेकावधि में अनुमोदित खनन योजना में दर्शित मात्रा अनिवार्यतः खनन की जानी होगी अन्यथा जमा सुरक्षा राशि राजसात की जा सकेगी। किसी भी वर्ष के माईनिंग प्लान में पुनरीक्षण, किसी वैध एवं अनुमत (Legal & Permitted) कारण से तथा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति से किया जा सकेगा। यदि बोलीकर्ता द्वारा परिशिष्ट -1 में दर्शित मात्रा से परिवर्तित मात्रा का उठाव एवं बिक्री की जाती है तो उस वर्ष के देय मूल्य में निम्न सूत्र के अनुसार अनुपातिक परिवर्तन किया जा सकेगा :-

$$I = \frac{ExO}{A}$$

- I=** संबंधित वर्ष के देय मूल्य में वृद्धि/कमी
E= परिशिष्ट-1 से अधिक/कम उठाई की गई मात्रा
O=सम्बंधित वर्ष का देय मूल्य (वैट छोड़कर)
A= परिशिष्ट-1 में दर्शित मात्रा।
वैट अलग से देय होगा

1.6 अग्रिम पोस्ट डेटेड चैक्स जमा करना:

- (i) सफलतम बोलीकर्ता (H1) को अनुबंध के पूर्व उसके द्वारा ऑफर किए गए ठेका मूल्य के अनुसार परिशिष्ट-4 में दर्शित प्रथम वर्ष की कार्ययोजना के अनुसार प्रत्येक माह के लिए निर्धारित मात्रा के विरुद्ध देय राशि (आफर मूल्य तथा वैट की राशि) के 12 पोस्ट डेटेड चैक्स स्थानीय शाखा/सममूल्य (AT PAR) (Post Dated Cheques) दि मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि0 के नाम से आहरित परिशिष्ट-5 में दर्शायी गई तालिका अनुसार संबंधित उप कार्यालय में जमा करना होगा। इस प्रकार के पोस्ट डेटेड चेक में आहरण की तिथि प्रत्येक माह की 01 तारीख उल्लेख होना अनिवार्य होगा। बोलीकर्ता आशय पत्र (Letter of Intent) जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अंदर 12 पोस्ट डेटेड चेक अनिवार्य रूप से निगम मुख्य कार्यालय भोपाल में जमा करेगा। वैट की राशि का समायोजन वास्तविक उठाई की गई मात्रा के आधार पर आगामी महीनों में किया जावेगा। इसी प्रकार ठेके के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष के प्रारंभ होने के पूर्व बोलीकर्ता प्रत्येक वर्ष के लिए 12 माह के 12 पोस्ट डेटेड चैक्स अग्रिम रूप में संबंधित उप कार्यालय में जमा करेगा। बोलीकर्ता का कोई भी पोस्ट डेटेड चेक अनादृत होने की दशा में अथवा उसका किसी माह में यदि किन्हीं विशेष कारणों से पीडीसी (Post Dated Cheques) में दर्शित सम्पूर्ण राशि जमा कराने में असमर्थ होने की दशा में 15 दिवस के भीतर मय 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ पूरी राशि जमा कर सकेगा। इस दौरान उसका कार्य निरंतर रहेगा किंतु 15 दिवस के अंदर देय राशि जमा न करने की स्थिति में ठेका निलंबित किया जाएगा। निलंबन के दौरान बोलीकर्ता रेत का उठाव एवं बिक्री नहीं करेगा एवं संबंधित प्रभारी अधिकारी तत्काल विभागीय रेत विक्रय प्रारंभ कर देंगे। यदि बोलीकर्ता चाहे तो निलंबन दिनांक से आगे 15 दिवस की अवधि के अंदर अनादृत चेक/देय सम्पूर्ण राशि, उस पर देय 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की राशि, अगली देय किश्तों की राशि तथा रू. 10,000/- प्रतिदिन की मान से दण्ड

की राशि जमाकर ठेके को पुर्नजीवित करा सकता है। निलंबन अवधि में ठेका अवधि की वृद्धि नहीं की जाएगी। पुर्नजीवित कराने का अवसर बोलीकर्ता को ठेके के प्रत्येक वर्ष में केवल एक ही बार दिया जावेगा। निर्धारित 15 दिन की अवधि में ठेका पुर्नजीवित न कराने पर ठेका स्वयमेव निरस्त मान्य हो जायेगा तथा सुरक्षा जमा राशि एवं अन्य जमा राशि से उसपर बकाया राशि की कटौती कर शेष राशि निगम द्वारा जप्त कर ली जायेगी तथा निगम द्वारा तत्काल नया ऑफर आमंत्रित किया जावेगा। पोस्ट डेटेड चैक क्लीयर होकर निगम के खाते में प्राप्त होने में चैक जमा करने की तिथि से 03 दिवस से अधिक का विलंब होता है तो उस राशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देना होगा।

- (ii) Post Dated Cheque अनादृत (बाउन्स) होने की स्थिति में उप कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा बोलीकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी। ऐसी स्थिति में प्रबंध संचालक द्वारा सुरक्षा जमा की राशि तथा अन्य जमा राशि जप्त की जा सकती है।

1.7 बोली का स्वीकृत किया जाना –

बोली स्वीकृत करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी : –

- (i) एक से अधिक वैध ऑफर प्राप्त होने पर अपसेट प्राइज के ऊपर प्राप्त उच्चतम ऑफर स्वीकृत किया जा सकेगा।
- (ii) यदि प्रथम आमंत्रण में केवल एक ऑफर प्राप्त होता है तथा यदि वह एकल ऑफर अपसेट मूल्य के ऊपर 10 प्रतिशत या अधिक का प्राप्त होता है तो वह स्वीकृत किया जा सकेगा। इससे कम का ऑफर प्राप्त होने पर अथवा कोई वैध ऑफर प्राप्त नहीं होने पर समान अपसेट मूल्य पर दोबारा ऑफर आमंत्रित किया जावेगा।
- (iii) द्वितीय आमंत्रण में यदि अपसेट मूल्य से अधिक का ऑफर प्राप्त होता है तो वह एकल होने पर भी स्वीकृत किया जा सकेगा।
- (iv) द्वितीय आमंत्रित ऑफर असफल होने पर तृतीय ऑफर आमंत्रण भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अपसेट मूल्य का पुनर्निर्धारण अथवा समूह में सम्मिलित खदानों का पुनः नियोजन करके किया जावेगा।
- (v) प्राप्त सफलतम बोली की वैधता बोली समाप्त होने की तिथि से 30 दिन तक रहेगी जिसे उभय पक्षों द्वारा आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा। बोली की वैधता अवधि में निगम द्वारा सफलतम बोलीकर्ता को लिखित में

बोली स्वीकार करने की सूचना एक आशय पत्र (Letter of Intent या LOI) द्वारा दी जाएगी।

- (vi) सफलतम बोलीकर्ता (H 1 Bidder) को ई-मेल द्वारा सफलतम बोलीकर्ता होने का सूचना पत्र (Letter of Information) स्वचलित सिस्टम द्वारा दी जाएगी किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं होगा कि उसका ऑफर स्वीकार कर लिया गया है। प्राप्त ऑफर्स का परीक्षण करने के उपरांत ऑफर स्वीकृति के संबंध में निगम द्वारा पृथक से एक आशय पत्र (Letter of Intent) जारी किया जायेगा।
- (vii) आवश्यकता पड़ने पर आन लाईन ई-नीलामी बोली (bidding) प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात किंतु ई-नीलामी की समाप्ति के पूर्व निगम द्वारा ई-नीलामी बिडिंग प्रक्रिया के समाप्त होने के समय में वृद्धि की जा सकती है जो मात्र आन लाइन प्रदर्शित होगा।
- (viii) बोलीकर्ता द्वारा www.mpeproc.gov.in में रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात वह ई-नीलामी में भाग ले सकेगा, परंतु प्रत्येक ग्रुप हेतु उसे अलग-अलग आरक्षित मूल्य (Upset price) की निर्धारित अमानत राशि (EMD) चालान के माध्यम से जमा करनी होगी। यदि बोलीकर्ता चाहे तो एक ही चालान के माध्यम से समान फेस के कई समूहों की अमानत राशि जमा कर सकता है। इसके लिये उसे ऐसे प्रत्येक समूह को **Select** कर **tick** करना होगा। विस्तृत जानकारी के लिये हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। सफलतम बोलीकर्ता की बोली सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किये जाने पर निर्धारित अवधि में एच-1 ऑफर की स्वीकृत राशि का 25 प्रतिशत की सुरक्षा राशि प्रत्येक ग्रुप हेतु जमा करना होगा एवं इसमें पूर्व में जमा 10 प्रतिशत जमा अमानत राशि सम्मिलित रहेगी। एक से अधिक ग्रुप में भाग लेने पर प्रत्येक ग्रुप हेतु, निर्धारित 25 प्रतिशत सुरक्षा राशि की व्यवस्था को पूर्व से ही सफलतम बोलीकर्ता को सुनिश्चित करना होगा। यदि एक से अधिक समूहों की बोली (bid) उसके पक्ष में स्वीकृत किये जाते हैं एवं वह सभी समूहों की

निर्धारित सुरक्षा राशि जमा नहीं कर पाता तो उसकी संबंधित ग्रुप की अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी ।

(ix) ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व उसे नियमानुसार **Disclaimer** को टिक करना होगा । "मैंने रेत संबंधी विज्ञप्ति, ई-नीलामी दस्तावेज, परिशिष्ट, अनुबंध दस्तावेज पढ़ लिया है तथा रेत खदानों का भौतिक सत्यापन कर लिया है तथा मैं ई-नीलामी प्रक्रिया तथा समस्त शर्तों से सहमत हूँ ।"

(x) अनुबंध हस्ताक्षरित होने के उपरांत यदि खदानों में पर्यावरण स्वीकृति एवं माईनिंग प्लान का अनुमोदन प्राप्त हो गया हो एवं खदानें रेत उत्खनन हेतु उपलब्ध हो जाती हैं तब निगम द्वारा बोलीकर्ता को कार्य अनुमति जारी की जाएगी ।

1.8 अनुबंध का निष्पादन:-

सफल बोली लगाने वाला ठेके के अनुमोदन की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर अनुमोदित खनन योजना एवं आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्रस्तुत करेगा और निर्दिष्ट ठेके का करार/अनुबंध निष्पादित करेगा । यदि खनन योजना एवं आवश्यक पर्यावरण अनुमति उपरोक्त कालावधि में प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो प्रबंध संचालक द्वारा ऐसे कारण जो अभिलिखित किये जा सकें, के आधार पर आगामी तीन माह की समयवृद्धि इन औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु दी जा सकेगी । इस समय अवधि करार/अनुबंध में अनुबंध का निष्पादन किया जा सकेगा । निर्धारित अवधि में यदि इन औपचारिकताओं को सफल बोलीदार पूर्ण करने में असफल रहता है तब, उसके द्वारा जमा सुरक्षा राशि में से 10 प्रतिशत की राशि की कटौती उपरांत शेष राशि वापसी योग्य होगी । ऐसी स्थिति में नीलाम किये गये समूह की बोली निरस्त करते हुए इसकी पुनः नीलामी की जायेगी । कब्जा प्रदान करने में हुए विलम्ब के कारण अधिकतम छः माह की अवधि का ठेकाधन अनुपातिक रूप से कम किया जा सकेगा । बोलीकर्ता द्वारा अनुबंध पत्र निष्पादित कराया जाकर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क अदाकर भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत अनुबंध दस्तावेज का पंजीयन स्वयं के व्यय पर कराया जाएगा ।

1.9 बोली के सम्बंध में निगम का अधिकार:-

ऑफर अभिलेखों में अन्यथा प्रावधान होने पर भी बिना कारण बताए किसी भी ऑफर को स्वीकृत/अस्वीकृत करने, समस्त ऑफर्स को अस्वीकृत करने या ऑफर प्रक्रिया को समाप्त करने एवं अनुबंध निष्पादन हेतु औचित्यपूर्ण कारण होने पर अतिरिक्त समय देने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी किसी स्वीकृत, अस्वीकृत तथा ऑफर प्रक्रिया के समापन के कारण निगम के ऊपर कोई देयता या बाध्यता निर्मित नहीं होगी।

1.10 अमानत राशि की वापसी:-

बोली प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरांत उच्चतम बोलीकर्ता की अमानत राशि रोककर शेष बोलीकर्ताओं की अमानत राशि ई-पेंमेंट के माध्यम से उसी खाते में वापस की जाएगी जिसका बोलीकर्ता ने ऑनलाइन (online) विवरण पूर्व में दिया है।

1.11 अमानत राशि/सुरक्षा राशि की जप्ती तथा ठेका निरस्तीकरण-

अमानत राशि/सुरक्षा राशि निम्न कारणों से जप्त करने तथा ठेका निरस्त करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा :-

- (i) यदि बोलीकर्ता वैधता अवधि में अपना ऑफर वापिस ले लेता है।
- (ii) यदि अनुबंध करने से पूर्व अथवा बाद में किसी भी समय यह प्रकाश में आता है कि बोलीकर्ता बोली प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षित अर्हता नहीं रखता है तो बोलीकर्ता को अयोग्य करार दिया जाएगा। यदि बोलीकर्ता द्वारा गलत बयानी या गलत जानकारी के आधार पर ठेका प्राप्त कर लिया गया है तो निगम द्वारा उसका ठेका निरस्त किया जाएगा। ऐसे निरस्तीकरण के फलस्वरूप बोलीकर्ता की अमानत राशि/सुरक्षा जमा की राशि एवं अन्य जमा राशि जप्त कर ली जाएगी तथा निगम को निविदा दस्तावेजों या लागू कानून के अनुसार अन्य कार्यवाही करने का अधिकार होगा। निरस्तीकरण के कारण बोलीकर्ता को हुई किसी भी हानि के लिए निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
- (iii) प्रथम वर्ष की किश्तों की राशि के 12 Post Dated Cheque (PDC) बोलीकर्ता को अनिवार्य रूप से कार्य आदेश जारी होने के उपरांत तीन दिवस के अंदर निगम में जमा करने होंगे। चूंकि ठेका पांच वर्ष का है अतः बोलीकर्ता आगामी वर्षों का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निर्धारित मात्रा के अनुसार किश्तों की देय राशि के 12 Post Dated Cheques अनिवार्य रूप से निगम के संबंधित उप कार्यालय में जमा करेगा। Post Dated Cheques यथा समय जमा न कराने की स्थिति में, उसका ऑफर/ठेका निरस्त किया जाकर उसके द्वारा निगम में जमा की गई अमानत राशि/सुरक्षा राशि एवं अन्य राशि जप्त कर ली जावेगी।
- (iv) यदि चयनित बोलीकर्ता निर्धारित समय सीमा में अनुबंध निष्पादित नहीं करता है।

- (v) यदि बोलीकर्ता द्वारा निर्धारित समयावधि में ठेका अनुबंध पत्र भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अध्याधीन निष्पादित कराया जाकर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क अदाकर अनुबंध दस्तावेजों का पंजीयन नहीं कराया जाता है।
- (vi) यदि बोलीकर्ता ने पूरी अनुबंध अवधि में रेत की निर्धारित मात्रा का उठाव नहीं किया है अथवा प्रचलित अधिनियम/नियमों का उल्लंघन किया है।

1.12 बोलीकर्ताओं द्वारा खदानों का निरीक्षण एवं आकलन:—

ऑफर प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे परिशिष्ट-1 में वर्णित खदानों का निरीक्षण कर लें तथा रेत खदानों उनकी निर्धारित रेत मात्रा एवं क्षेत्र तथा उनके उत्खनिपट्टों की अवधि से पूर्णतः भलीभाँति अवगत होकर ऑफर प्रस्तुत करें। बोलीकर्ता को इस आशय का प्रमाण पत्र परिशिष्ट-2 में दिये गये प्रपत्र में अनुबंध के पूर्व देना होगा। किन्हीं वैधानिक कारणों से यदि कोई खदान/खदाने कार्य करने हेतु उपलब्ध नहीं हो पाती है तब ऐसी स्थिति में संबंधित माह/माहों में अनुबंधित मात्रा के आधार पर कुल अनुबंधित मात्रा में कमी की जावेगी तथा बोलीकर्ता को किसी प्रकार से मुआवजे की पात्रता नहीं होगी। किंतु यदि समूह में सम्मिलित अन्य खदान/खदानें जहां पर ठेका मात्रा अनुमोदित खनन योजना से कम है तो, उस खदान/खदानों से इस कमी की भरपाई बोलीकर्ता को करना होगी (अनुमोदित खनन योजना की अधिकतम मात्रा तक)। बोलीकर्ता द्वारा बोली प्रस्तुत कर दिए जाने पर यह माना जाएगा कि बोलीकर्ता यह प्रमाणित कर रहा है कि उसने परिशिष्ट-2 एवं 3 के अनुसार अपना समाधान एवं संतुष्टि कर ली है।

1.13 बोली दस्तावेजों में सुधार –

आन लाइन बोली लगाने की तिथि के पूर्व निगम आवश्यकतानुसार बोली दस्तावेजों में सुधार कर सकेगा तथा यदि कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो आगामी बोली की जानकारी भी वेबसाईट www.mpeproc.gov.in एवं www.mpsmcl.mp.gov.in/tenders.aspx, www.mp.gov.in/tenders_home तथा mpsc.mp.nic.in/e_khanij/AppPrevious/smcsandtender.aspx में प्रदर्शित किया जाएगा। ऐसा सुधार बोलीकर्ताओं पर बंधनकारी होगा।

ठेके की सामान्य शर्तें

2.1 परिभाषाएं तथा व्याख्या

- (i) “लेखा वर्ष” से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है जो 1 अप्रैल से शुरू होता है तथा अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होता है।
- (ii) “अनुबंध” से तात्पर्य इस अनुबंध तथा इसकी ई-नीलामी आमंत्रण सूचना, बोलीकर्ताओं को निर्देश, ठेके की सामान्य शर्तें, परिशिष्ट तथा संलग्न दस्तावेज से है।
- (iii) “अनुबंध की अवधि” से तात्पर्य 5 वर्ष अथवा 31.03.2020 जो भी पूर्व हो तक है जिसकी गणना कार्य प्रारंभ की दिनांक से की जाएगी। यदि अनुबंध 5वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व किसी भी कारण से निरस्त किया जाता है तो अनुबंध की अवधि निरस्तीकरण दिनांक तक सीमित होगी।
- (iv) “लागू अधिनियम” से तात्पर्य वे कानून हैं जो राज्य शासन या केन्द्र सरकार द्वारा प्रसारित किये गये हो तथा लागू एवं प्रभावशील हों। इन कानूनों में इनके अंतर्गत बनाए गए नियम, विनियम तथा अधिसूचना और न्यायालय के निर्णय, डिक्री, ब्यादेश, रिट, आदेश, जो कि इस अनुबंध से संबंधित हैं, भी सम्मिलित हैं।
- (v) “लागू अनुज्ञा पत्र” से तात्पर्य उन सभी अनापत्ति प्रमाण-पत्रों, अनुज्ञा-पत्रों, प्राधिकार, सहमति तथा अनुमोदनों से है, जिनकी आवश्यकता प्रचलित कानूनों के अंतर्गत इस अनुबंध के अंतर्गत कार्य निष्पादन के लिए हो।
- (vi) “व्यावसायिक सदप्रथाएँ” से तात्पर्य उन प्रथाओं, पद्धतियों, तकनीकों, मानकों दक्षता, अध्यवसाय, बुद्धमतता से है जिसकी अपेक्षा सामान्यतया युक्तयुक्त रूप से अंतराष्ट्रीय स्तर पर युक्त युक्त तथा दक्ष एवं अनुभवी ऐसे ही कार्य में लगी एजेंसी, जैसी कि इस अनुबंध में प्रावधानित है।
- (vii) “ठेकेदार” से तात्पर्य चयनित बोलीकर्ता है जो कि अनुबंध निष्पादित कर अनुबंधकी शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा।
- (viii) “पक्षों” से तात्पर्य अनुबंध निष्पादित करने वाले दोनों पक्षों से है। पक्ष का तात्पर्य अनुबंध निष्पादित करने वाले किसी भी एक पक्ष से है।
- (ix) “निगम” से तात्पर्य “दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड” है।
- (x) “निगम के प्रतिनिधि” से तात्पर्य निगम के प्रबंध संचालक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. भोपाल या ऐसा कोई व्यक्ति जो कि प्रबंध संचालक द्वारा लिखित में इस अनुबंध के अंतर्गत प्राधिकृत किया जाता है।
- (xi) “प्रबंध संचालक” से तात्पर्य दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक से है।
- (xii) “संचालक मण्डल” से तात्पर्य दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक मण्डल से है।
- (xiii) “LOI” से तात्पर्य आशय पत्र (letter of Intent) से है तथा letter of Information से तात्पर्य सूचना पत्र से है।
- (xiv) “आरक्षित मूल्य” (Upset Price) से तात्पर्य प्रथम वर्ष हेतु निगम द्वारा आरक्षित मूल्य है।

- (xv) "देय राशि" (ऑफर मूल्य + वैट की राशि) से तात्पर्य किसी वर्ष की वह राशि है जो बोलीकर्ता द्वारा रेत उठाव एवं बिक्री के एवज में निगम को देय होगी। विक्रय की मात्रा या वर्ष बदलने पर देय मूल्य में भी परिवर्तन हो सकता है।

व्याख्या –

- जहाँ भी प्रसंगवश अथवा अपेक्षा हो उसे छोड़कर इस अनुबंध में:
- (i) एक लिंग दर्शाने वाले शब्दों में सभी लिंग सम्मिलित हैं।
 - (ii) एक वचन दर्शाने वाले शब्दों में बहुवचन भी सम्मिलित है तथा बहुवचन दर्शाने वाले शब्दों में एक वचन भी सम्मिलित है।
 - (iii) अनुबंध में प्रयुक्त शब्दों 'सहमत', "सहमत हुआ" या अनुबंध से लिखित में अनुबंध करने की अपेक्षा है।
 - (iv) "लिखित" या "लिखित में" से तात्पर्य, हस्तलिखित, टंकित, मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक मोड से है जिसके परिणाम स्वरूप स्थायी अभिलेख तैयार हो सकें।

2.2 सुरक्षा राशि –

सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृत वार्षिक ठेकाधन की 25 प्रतिशत राशि, सुरक्षा राशि के रूप में ई-पेमेन्ट/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से अनुबंध में अधिकथित किये गये निबंधनों तथा शर्तों के अनुपालन में आशय पत्र (LOI) जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की कालावधि के भीतर जमा करना होगा। सफल बोली लगाने वाले द्वारा निक्षेपित 10 प्रतिशत अमानत राशि देय 25 प्रतिशत राशि के विरुद्ध समायोजन योग्य होगी। यह सुरक्षा राशि ठेके की कालावधि समाप्त होने के पश्चात् केवल तभी वापसी योग्य होगी, जब निगम के प्रबंध संचालक का यह समाधान हो जाये कि ठेकेदार द्वारा समस्त नियमों और/या अनुबंध की शर्तों का समाधानप्रद रूप से पालन किया है। बोली लगाने वाले के द्वारा, जिसके कि पक्ष में बोली समाप्त हुई है, बोली के पश्चात् 15 दिवस की कालावधि के भीतर सुरक्षा राशि जमा करने में असफल रहने की दशा में, उसके द्वारा निक्षेपित अमानत राशि समपहत हो जायेगी तथा खदानों की पुनः नीलामी की जायेगी। प्रत्येक वर्ष के ठेका मूल्य में पिछले वर्ष के ठेका मूल्य पर 5% वृद्धि होने के कारण, मूल्य वृद्धि की 25% राशि ई-पेमेंट/बैंक ड्राफ्ट द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा निधि वर्ष का ठेका प्रारंभ होने के पूर्व संबंधित उपकार्यालय में जमा करानी होगी।

2.3 वाणिज्यिक कर (वैट) तथा अन्य कर व रॉयल्टी:—

खनिज निगम का अपसेट मूल्य 125/— रुपये प्रति घन मीटर है तथा "वैट कर" (Vat) इसके अतिरिक्त है। वैट की राशि कार्ययोजना की संपूर्ण निर्धारित मात्रा हेतु बोलीकर्ता द्वारा खनिज निगम को पृथक से किशतों के साथ अग्रिम भुगतान की जावेगी। वैट राशि का समायोजन वास्तविक उठाई गई मात्रा के आधार पर आगामी महीनों में किया जावेगा। कार्ययोजना की संपूर्ण मात्रा यदि बोलीकर्ता द्वारा नहीं उठाई जाती है तब वैट की राशि वास्तविक उठाई मात्रा पर देय होगी। ठेका अवधि के दौरान शासन द्वारा यदि वैट कर या अन्य कर/उपकर इत्यादि अधिरोपित किये

जाते हैं या इनकी वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है तो इसे बोलीकर्ता को वहन करना होगा। फलस्वरूप वास्तविक उठायी गई रेत की मात्रा पर बढ़ी हुई दर पर यह राशि निगम को देय होगी।

2.4 मृतकर:—

बोलीकर्ता को प्रत्येक खदान से निगम द्वारा निर्धारित मात्रा में रेत उठानी होगी, जो परिशिष्ट-1 में दर्शित है। इस मात्रा से कम मात्रा का उठाव एवं बिक्री करने की स्थिति में भी वह निर्धारित मात्रा की पूरी किश्त निगम में जमा करेगा तथा निर्धारित मात्रा का उठाव एवं बिक्री न होने पर अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना जावेगा तथा अनुबंध निरस्त कर सुरक्षा राशि तथा अन्य राशियां जब्त की जावेगी (बोलीकर्ताओं के निर्देश की कंडिका 1.5 के अधीन)। खदानों हेतु देय मृतकर की भरपाई न हो पाने पर मृतकर की राशि की सीमा तक पृथक से राशि बोलीकर्ता से वसूली की जावेगी। खनिज रेत की खदानों हेतु मृतकर की वर्तमान दर प्रति हेक्टेयर या उसके भाग के लिये द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष तक रू. 30,000/—प्रति हेक्टेयर एवं चतुर्थ वर्ष और आगे रूपये 40,000/— प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष है। शासन द्वारा यदि भविष्य में यह दर बढ़ाई जाती है तो वह बोलीकर्ता द्वारा निगम को देय होगी।

2.5 बोलीकर्ता द्वारा मासिक लेखा प्रस्तुत करना:—

ठेके की अवधि में यदि यह पाया जाता है कि बोलीकर्ता द्वारा परिशिष्ट-6 में मासिक लेखा नहीं दिया जाता है या मासिक लेखा गलत/मिथ्या पाया जाता है तो संबंधित उपकार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा इसे संज्ञान में लिया जाकर प्रभारी अधिकारी की अनुशंसा पर निगम के प्रबंध संचालक को ठेका समाप्त कर सुरक्षा जमा राशि तथा अन्य जमा राशि जप्त करने का अधिकार होगा।

2.6 रेत उठाव की निर्धारित मात्रा

अधिकतम सतह से 3 मीटर तक अथवा जल स्तर तक अथवा वास्तविक उपलब्ध मात्रा, जो भी कम हो रेत खनिज का उठाव निर्धारित किया गया है। रेत का उठाव एवं बिक्री M0प्र0 गौण खनिज नियम, 1996 के प्रतिबंधित क्षेत्र तथा अन्य ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्र जो शासन द्वारा निर्धारित किये गये हो, से नहीं किया जावेगा। रेत उठाव एवं बिक्री का कार्य नदी/नाले के जल के भीतर या बहाव की धारा (River Stream) में नहीं किया जावेगा।

2.7 खदानों के सीमा चिन्ह:—

बोलीकर्ता को खदानों के सीमा चिन्ह M0प्र0 गौण खनिज नियम के अंतर्गत स्थापित करना एवं सुरक्षित रखना अनिवार्य है। किन्हीं कारणों से सीमा चिन्ह क्षतिग्रस्त होने पर उन्हें मरम्मत एवं पुनर्स्थापित करने का दायित्व भी बोलीकर्ता का होगा।

2.8 खदान एवं रेत का विवरण:-

बोलीकर्ता को प्रत्येक खदान क्षेत्र में बोलीकर्ता एवं खदान का विवरण, रेत की विक्रय दर, मजूदरों द्वारा लिये जा रहे लोडिंग/अनलोडिंग की दर इत्यादि की जानकारी सूचना पटल पर प्रदर्शित करना होगा।

2.9 ट्रांजिट पास की अनिवार्यता:-

खदान से रेत का परिवहन बिना ट्रांजिट पास के नहीं किया जावेगा। ठेकेदार को अनुमोदित माइनिंग प्लान के अनुसार ही ट्रांजिट पास जारी किये जावेगे। प्रत्येक वाहन जो कि खनिज विभाग से खनिज परिवहन हेतु पंजीकृत हैं, के साथ तथा प्रत्येक ट्रिप हेतु नियमानुसार वैध ट्रांजिट पास जारी करना अनिवार्य है। ट्रांजिट पास बोलीकर्ता के अधिकृत कर्मचारी द्वारा जारी किया जावेगा। बोलीकर्ता को अपने अधिकृत कर्मचारियों की सूची मय फोटोयुक्त पहचान पत्र संबंधित उप कार्यालय में देनी होगी। बोलीकर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक वाहन/ट्रिप के लिये ट्रांजिट पास जारी करावें। इस संबंध में अनियमितता बरतने पर ठेका समाप्त कर दिया जावेगा तथा बोलीकर्ता की सुरक्षा राशि एवं अन्य जमा राशि जप्त कर ली जावेगी।

2.10 परिवहन की व्यवस्था:-

निर्धारित मात्रा का उठाव एवं बिक्री करने के लिए समुचित वाहनों की व्यवस्था बोलीकर्ता को करानी होगी। वाहनों के अभाव में रेत की निर्धारित मात्रा का उठाव एवं बिक्री बोलीकर्ता द्वारा न कराये जाने की दशा में भी उसे अनुबंधित राशि निगम को भुगतान करनी होगी तथा भुगतान न करने पर इसे अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन मानकर अनुबंध निरस्त किया जाकर उसकी सुरक्षा राशि एवं अन्य जमा राशि जप्त कर ली जावेगी। बोलीकर्ता को खदान पहुँच मार्ग, कच्चा पुल आदि का निर्माण स्वयं के व्यय पर करना होगा। यदि पहुँच मार्ग में कोई निजी/शासकीय भूमि आती है तो उसका प्रबंध बोलीकर्ता को स्वयं के व्यय पर ही करना होगा। बोलीकर्ता को उसे आवंटित क्षेत्र में रात्रि में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करनी होगी।

2.11 स्वीकृत ठेका क्षेत्र व निकटवर्ती क्षेत्र में अवैध खनन को रोकना:-

उठाई जाने वाली रेत की चौकीदारी तथा सुरक्षा की व्यवस्था बोलीकर्ता स्वयं करेगा तथा रेत उठाव एवं बिक्री संबंधी समस्त नियमों का पालन करना होगा। यदि बोलीकर्ता को स्वीकृत ठेका क्षेत्र से अवैध उत्खनन पाया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जबावदारी बोलीकर्ता की होगी। बोलीकर्ता के स्वीकृत ठेका क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्र में यदि अवैध उत्खनन होता है तो उसकी लिखित सूचना बोलीकर्ता द्वारा निगम एवं जिला प्रशासन को दी जाना अनिवार्य है।

2.12 नियम, आदेश, निर्देशों का पालन:—

बोलीकर्ता को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 एवं मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2006 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। बोलीकर्ता को केन्द्र, राज्य, स्थानीय शासन या निगम के सभी लागू या समय-समय पर जारी निर्देशों, नियमों का तथा माननीय न्यायालय, भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल (Pollution control board) या एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश या नियमों का पालन करना होगा तथा निगम इसके लिये उत्तरदायी नहीं होगा। साथ ही बोलीकर्ता को निगम के अधिकारियों/ उप- कार्यालय के प्रभारी अधिकारी एवं उनके द्वारा निर्दिष्ट कर्मचारी के निर्देशों का पालन करना होगा।

2.13 लेबर सम्बंधी नियमों का पालन:—

प्रचलित लेबर ऐक्ट तथा श्रम नियमों के अनुसार बोलीकर्ता को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मजदूरों से सम्बंधित बीमा, पी0एफ0 इत्यादि नियमों का पालन करना होगा। बोलीकर्ता को पाक्षिक लेबर रिपोर्ट निगम को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मजदूरों को आवश्यक सुविधायें जैसे हेल्मेट, आवास, चिकित्सा, साफ- सफाई इत्यादि प्रदान करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर या समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर निगम द्वारा ठेके के मूल्य पर अधिकतम 0.5% प्रति माह की दर से दण्ड आरोपित किया जा सकेगा तथा सक्षम अधिकारी द्वारा विधिक कार्यवाही की जा सकेगी। यदि बोलीकर्ता को आवंटित क्षेत्र में रेत उठाव एवं बिक्री के दौरान कोई दुर्घटना होती है एवं दुर्घटना के फलस्वरूप धन-जन की हानि होने पर पूर्ण उत्तरदायित्व बोलीकर्ता का होगा तथा निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

2.14 ठेका अहस्तांतरणीय है:—

बोलीकर्ता को स्वीकृत किया गया ठेका उनके द्वारा किसी भी परिस्थिति/समय में अन्य किसी को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा।

2.15 ठेके की अवधि में वृद्धि:—

ठेका समाप्ति के उपरांत विशेष परिस्थितियों में आपसी सहमति से ठेका अवधि में वृद्धि करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा जिसे ठेके की कार्ययोजना के संबंधित माह/माहों में निर्धारित मात्रा तथा अनुबंधित किश्त की राशि के समानुपातिक आधार पर बढ़ाया जावेगा तथा ठेका अवधि निरन्तर मानी जावेगी। इस पर 5% वार्षिक मूल्य वृद्धि का मानदण्ड भी लागू होगा। इसका आशय यह है कि ठेके की विगत वर्ष के संबंधित माहों की कार्य-योजना में जो मात्रा स्वीकृत की गई है, बढ़ी हुई अवधि के माहों में ठेकेदार को माहवार उतनी ही मात्रा उठानी होगी, साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी बोलीकर्ता द्वारा मूल ठेके की संपूर्ण राशि जमा कर दी गई है परंतु उसके द्वारा अनुबंधित मात्रा नहीं

उठायी गयी है तो वह इस बड़ी हुई अवधि में वह शेष मात्रा तथा बड़ी हुई अवधि में स्वीकृत मात्रा उठा सकेगा (माईनिंग प्लान की अनुमत मात्रा की सीमा तक तथा बोलीकर्ताओं के निर्देश की कंडिका 1.5 में उल्लेखित सीमा तक) । यदि बोलीकर्ता मूल ठेका अवधि में अनुबंधित मात्रा से अधिक मात्रा उठा चुका है तो वह उक्त उठायी गयी अधिक मात्रा का समायोजन बड़ी अवधि में नहीं करा सकेगा अर्थात् बड़ी हुई अवधि में अतिरिक्त मात्रा उसे उठाना होगा एवं इसकी बिक्री मूल्य खनिज निगम को देना होगा। मूल ठेका अवधि समाप्ति के उपरांत ठेका वृद्धि की संपूर्ण अवधि निरंतर मानी जावेगी। ठेका अवधि में वृद्धि किया जाना बोलीकर्ता का अधिकार नहीं होगा और न ही ठेका अवधि में वृद्धि करना निगम के लिए बंधनकारी होगा।

2.16 वाणिज्य विभाग में पंजीयन:-

यदि बोलीकर्ता का वाणिज्यकर विभाग में पंजीयन नहीं है तो उसे अनुबंध निष्पादन के उपरांत एक माह के अंदर पंजीयन कराकर टिन (TIN) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

2.17 ठेके के दौरान प्रबंध संचालक के निर्देश आदि:-

निगम के प्रबंध संचालक ठेके की अवधि के दौरान किन्ही अन्य व्यावहारिक शर्तों का समावेश करने तथा कार्यपालक निर्देश जारी करने के लिए स्वतंत्र होंगे जो बोलीकर्ता के लिए बंधनकारी होगा । ठेके की शर्तों की व्याख्या निगम के प्रबंध संचालक द्वारा की जावेगी और प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा ।

2.18 आदेशों के पालन में क्षतिपूर्ति अमान्य:-

ऑफर के संबंध में किसी भी न्यायालयीन आदेश, स्थगन आदेश, यथास्थिति आदेश, अथवा अन्य कोई अंतरिम आदेश, के परिप्रेक्ष्य में बोलीकर्ता द्वारा क्लेम की गई किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति निगम द्वारा प्रदान नहीं की जावेगी ।

2.19 वसूली योग्य राशि हेतु कार्यवाही:-

यदि बोलीकर्ता से कोई वसूली योग्य राशि निकलती है तो उक्त राशि की वसूली उसी बोलीकर्ता के अन्य ठेके की निगम में जमा सुरक्षा राशि एवं अन्य राशि से की जा सकेगी ।

2.20 ग्रामीणजन/ ग्राम पंचायतों को रेत का निःशुल्क प्रदाय:-

ग्रामीण जनों को स्वयं के निर्माण कार्य में अथवा ग्राम पंचायतों के द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्यों के प्रयोजन हेतु ठेका क्षेत्र से सरपंच एवं ग्राम सचिव द्वारा वास्तविक आवश्यकता के प्रमाणीकरण पश्चात तहसीलदार/नायब तहसीलदार के आदेश से ठेकेदार द्वारा रायल्टी मुक्त अभिवहन पास के माध्यम से रेत खनिज ले जाने की अनुमति प्राप्त करेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु रायल्टी मुक्त अभिवहन पास उस

मात्रा में जारी किये जावेंगे जिसे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाये।

2.21 खनन योजना का अनुमोदन एवं पर्यावरण स्वीकृति –

- (i) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मुख्य बैंच नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्र0 OA No. 123/2014 (हिम्मत सिंह शेखावत विरुद्ध राजस्थान राज्य) में पारित निर्णय दिनांक 13-01-2015 के तहत नवीन खदानों के संचालन हेतु पर्यावरण स्वीकृति की अनिवार्यता है। अतः कार्य करने की अनुमति नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मुख्य बैंच, नई दिल्ली में प्रचलनशील उक्त प्रकरण तथा अन्य न्यायालयीन प्रकरणों में पारित निर्देश/निर्णयों के अध्यक्षीन होगी।
- (ii) ठेके में सम्मिलित रेत खदानों की खनन योजना का अनुमोदन एवं पर्यावरण स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने की जवाबदारी स्वयं के व्यय पर बोलीकर्ता की होगी। यदि किसी न्यायालयीन/निर्णय/केन्द्र/राज्य सरकार के आदेश के परिप्रेक्ष्य में सक्षम स्तर से खनन योजना का अनुमोदन एवं पर्यावरण स्वीकृति निगम द्वारा निर्धारित Time Frame के तहत अपने व्यय पर प्राप्त की जाती है तो सफलतम बोलीकर्ता को उसके ठेके में सम्मिलित ऐसी खदान/खदानों बाबत निगम द्वारा इस बाबत किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति निगम को करना होगी।
- (iii) सफलतम बोलीकर्ता के पक्ष में कार्यादेश जारी हो जाने के उपरांत ठेके में सम्मिलित ऐसी रेत खदानों हेतु जिनके माईनिंग प्लान का अनुमोदन अथवा पर्यावरण स्वीकृति सक्षम स्तर से ठेका आवंटन स्वीकृति तिथि को प्राप्त नहीं है अथवा आगामी ठेका अवधि में आवश्यक होगा एवं/अथवा खदानें तत्काल कार्य प्रारंभ करने हेतु उपलब्ध नहीं है, ऐसी रेत खदानों के माईनिंग प्लान का अनुमोदन तथा पर्यावरण स्वीकृति बोलीकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर प्राप्त की जावेगी। माईनिंग प्लान का अनुमोदन एक माह में तथा पर्यावरण स्वीकृति 25 हे0 से कम रकबा की खदानों हेतु 3 माह तथा 25 हे0 एवं अधिक की खदानों हेतु 6 माहमें प्राप्त करना होगा। ऐसी रेत खदानों हेतु नियमानुसार वांछित अनुमति प्राप्त होने के उपरांत बोलीकर्ता ऐसी रेत खदानों पर खनन योजना में अनुमोदित मात्रानुसार रेत की निकासी कर निगम द्वारा स्वीकृत किए गए मूल्य के अनुसार किश्त की राशि का भुगतान अनुबंधानुसार ठेका समाप्ति तिथि तक निगम को करेगा।
- (iv) आवश्यक होने पर माईनिंग प्लान एवं पर्यावरण अनुमति पुनरीक्षित कराने/नवीनीकरण स्वयं के व्यय पर कराने की जवाबदारी बोलीकर्ता की होगी। निगम के संबंधित उपकार्यालय के प्रभारी अधिकारी इस प्रक्रिया को

बोलीकर्ता के माध्यम से पूर्ण कराने हेतु अधिकृत होंगे जिसके लिए उन्हें प्रबंध संचालक से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार यदि किसी प्रकरण में माइनिंग प्लान की अनुमोदित मात्रा को SEIAA/ MOEF/ Pollution Control Board द्वारा कम या अधिक किया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में, निगम के प्रबंध संचालक के अनुमोदन उपरांत, तदानुसार ठेका मात्रा पुनरीक्षित की जायेगी तथा ठेके की राशि ई-नीलामी में सफल बोलीकर्ता द्वारा किये गये ऑफर के अनुपात में कम या अधिक हो जायेगी।

- (v) यदि बोलीकर्ता उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि में माइनिंग प्लान अनुमोदन तथा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त नहीं करता है तो उसकी सुरक्षा राशि में से 10 प्रतिशत की राशि की कटौती उपरांत शेष राशि वापसी योग्य होगी। ऐसी स्थिति में नीलाम किये गये समूह की बोली निरस्त करते हुए उसकी पुनः नीलामी की जायेगी।

2.22 ठेके का समर्पण:—

यदि बोलीकर्ता ठेका समर्पित करना चाहता है तो वह निगम के संबंधित उपकार्यालय के प्रभारी अधिकारी को लिखित में एक माह पूर्व सूचना देगा तथा संबंधित प्रभारी अधिकारी जिस दिनांक को स्वयं के हस्ताक्षर से पावती देंगे वह दिनांक उसकी आवेदन दिनांक मानी जाएगी तथा उक्त आवेदन दिनांक से आगामी एक माह तक बोलीकर्ता को ठेका कार्य निरंतर रखना होगा तथा एक माह पश्चात वह अपना कार्य बंद कर सकेगा। उसे उक्त एक माह हेतु अनुपातिक किश्त अनुसार देय राशि का भुगतान करना होगा। ठेका समर्पित करने पर बोलीकर्ता की सुरक्षा राशि एवं अन्य जमा राशि से उस पर बकाया राशि समायोजित कर शेष राशि निगम द्वारा जप्त कर ली जायेगी। ऐसी स्थिति में निगम द्वारा तत्काल नई बोली आमंत्रित की जावेगी। बोलीकर्ता द्वारा ठेका समर्पित करने अथवा ठेका निलंबन करने पर संबंधित प्रभारी अधिकारी तत्काल विभागीय रेत विक्रय प्रारंभ करेगा। ठेका समर्पित करने वाला बोलीकर्ता जिस ग्रुप का ठेका समर्पित कर रहा है उस ग्रुप हेतु आमंत्रित की जाने वाली बोली में आगामी पांच वर्ष तक भाग नहीं ले सकेगा।

2.23 कारण बताओ नोटिस का जवाब:—

बोलीकर्ता द्वारा यदि उपरोक्त उल्लेखित शर्त/शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो निगम के संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा बोलीकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया जावेगा जिसका जवाब बोलीकर्ता को 15 दिवस के भीतर देना होगा। समयावधि में उत्तर प्राप्त होने, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में संबंधित प्रभारी अधिकारी प्रकरण का परीक्षण कर प्रबंध संचालक को अपनी टीप सहित प्रकरण अग्रेषित करेगा तथा प्रबंध संचालक द्वारा समुचित निर्णय लिया जावेगा, जो बोलीकर्ता पर बंधनकारी होगा।

2.24 अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति (Force Majeure):—

यदि किसी अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति (Force Majeure) जो बोलीकर्ता के नियंत्रण से परे हो तथा इस तथ्य के पर्याप्त प्रमाण हों कि बोलीकर्ता द्वारा ऐसी घटना या परिस्थिति के होते हुये भी उन्हें रोकने, हटाने या टालने के पर्याप्त प्रयास किये गये हों ताकि कार्य निरंतर चलता रहे, के कारण कार्य बाधित हो तो बाधित समयावधि तक बोलीकर्ता के सभी दायित्व स्थगित रखे जायेंगे। बोलीकर्ता ऐसी घटना या परिस्थिति की विस्तृत जानकारी उसके उत्पन्न होने के पूर्व या तुरंत पश्चात् जैसा भी संभव हो पर्याप्त साक्ष्य सहित निगम को देगा तथा कारण (अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति) के समाप्त होने पर निगम को सूचित करते हुये कार्य पुनः प्रारंभ करेगा। निगम द्वारा वांछित तथा तद्ानुसार बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी, साक्ष्य तथा दस्तावेज के आधार पर प्रबंध संचालक द्वारा निर्णय लिया जायेगा जो अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

यहाँ पर अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति से अभिप्रेत है:— देवीय प्रकोप जैसे बाढ़, महामारी, भूकम्प तथा अकाल इत्यादि तथा अनपेक्षित घटना यथा आम हड़ताल, कर्फ्यू, उपद्रव, आगजनी, दंगा तथा शासन द्वारा लागू प्रतिबंधात्मक धारायें, नियम आदेश या उदघोषण में शासन द्वारा किया गया परिवर्तन आदि।

2.25 विवादों का निपटारा :—

निगम एवं बोलीकर्ता के मध्य निष्पादित अनुबंध से संबंधित किसी विवाद के निराकरण हेतु विवाद उत्पन्न होने के सात दिवसों के भीतर बोलीकर्ता द्वारा निगम के प्रबंध संचालक को औपचारिक रूप से लिखित में विवाद का सारभूत अधिसूचित किया जावेगा। अधिसूचित करने के तीस दिवस के भीतर निगम के प्रबंध संचालक संबंधित पक्षों की सुनवाई कर इसका निराकरण कर सकेंगे। यदि निगम के प्रबंध संचालक 30 दिवस में उन्हें संदर्भित किये गये विवाद का समाधान करने में असमर्थ रहते हैं तब ऐसी स्थिति में या बोलीकर्ता प्रबंध संचालक द्वारा निर्णीत समाधान से संतुष्ट न हो तो आरबीट्रेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट 1996 के अंतर्गत संबंधित पक्षों द्वारा विवाद पंच निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जावेगा एवं पंच द्वारा विधि सम्मत निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

2.26 विवाद का अधिकार क्षेत्र:—

समस्त वैधानिक विवाद भोपाल न्यायालय के अधीन होंगे।

दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल

परिशिष्ट - 1

उप कार्यालय होशंगाबाद जिला - होशंगाबाद, तहसील - पिपरिया,
समूह का नाम - पिपरिया

रेत खदानों की सूची

निर्धारित मात्रा 282000 घनमीटर (उदाहरण हेतु)

क्रमांक	खदान का नाम	खसरा क्र०	रकबा (हे०)	मात्रा घ०मी०
1	2	3	4	6
1	सर्राकिसोर	32	4.000	115000
2	खापरखेड़ा	244	0.809	24000
3	मरकाढाना	86	4.000	115000
4	ढांडियाकिसोर	115	1.000	28000
		योग	9.809	282000

टीप :

खदानों के नक्शे निगम के संबंधित उप कार्यालय में बोलीकर्ता के अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं।

** ई-नीलामी से संबंधित समस्त समूहों की परिशिष्ट -1 की जानकारी संलग्न Sub Documents (Annexure) चारों वेबसाइटों पर उपलब्ध है, तथा म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. की वेबसाइट www.mpsmcl.mp.gov.in में संबंधित समूहों के कोड के उपर हाईपरलिंक के रूप में देखी जा सकती है।

दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल

परिशिष्ट - 2

खदानों के स्थल निरीक्षण संबंधी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि० के उप कार्यालय —————, के अंतर्गत जिला —————, तहसील ————— समूह ————— की परिशिष्ट-1 में दर्शाई गई रेत खदानों का व्यक्तिगत रूप से स्थल निरीक्षण कर लिया है तथा पूरी तरह से रेत खदानों के क्षेत्र एवं उसकी उत्खनिपट्टे पर स्वीकृति अवधि से भलीभाँति अवगत हुए। मैं/हम दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि० के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा संबंधित/समीपवर्ती जिले/जिलों से संचालित की जा रही रेत खदानों से भी भलीभाँति अवगत हुआ/हुए। साथ ही मैं/हम अन्य व्यक्तियों द्वारा विधिपूर्वक किये गये रेत खनिज के स्टॉक से भली भाँति अवगत हुआ/हुए एवं तदनुसार ही मेरे/हमारे द्वारा रेत उठाव एवं बिक्री कराने हेतु ऑफर प्रस्तुत किया गया है। मैं/हम रेत का विक्रय "जहाँ है, जैसा है" के आधार पर करूंगा/करेंगे। मेरे/हमारे द्वारा ऑफर की शर्तों/निबंधन का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया गया है एवं उन्हें समझ लिया गया है एवं तदनुसार ही मेरे/हमारे द्वारा ऑफर प्रस्तुत किया गया है।

बोलीकर्ता अथवा
प्राधिकृत व्यक्ति के
हस्ताक्षर तथा सील

टीप— यह प्रमाण पत्र अनुबंध के पूर्व बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा ।

दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल

परिशिष्ट - 3

वचन पत्र

मैं/हम यह वचन देता हूँ/हैं कि यदि अनुबंध निष्पादन पूर्व अथवा बाद में किसी भी समय यह प्रकाश में आता है कि बोली प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षित अर्हता नहीं रखता/रखते हूँ/हैं तो मुझे/हमें अयोग्य करार दिया जाएगा । यदि मेरे/हमारे द्वारा गलत बयानी या गलत जानकारी के आधार पर ठेका प्राप्त कर लिया गया है तो निगम द्वारा मेरा/हमारा ठेका निरस्त किया जाएगा। यदि मेरे/हमारे पक्ष में स्वीकृति पत्र जारी किया जा चुका हो या मैंने/हमने अनुबंध निष्पादित कर दिया हो तो गलत बयानी या गलत जानकारी के लिये निगम द्वारा लिखित नोटिस द्वारा मेरा/हमारा स्वीकृति पत्र/अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। ऐसे निरस्तीकरण के फलस्वरूप मेरी/हमारी अमानत राशि/सुरक्षा जमा की राशि एवं अन्य राशि निगम द्वारा जप्त की जा सकती है तथा निगम को ऑफर दस्तावेजों या लागू कानून के अनुसार अन्य कार्यवाही करने का अधिकार भी होगा। निरस्तीकरण के कारण मुझको/हमको हुई किसी भी हानि के लिए निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

दिनांक :

बोलीकर्ता अथवा प्राधिकृत
व्यक्ति के हस्ताक्षर तथा सील

टीप- यह वचन पत्र बोलीकर्ता द्वारा अनुबंध के पूर्व प्रस्तुत किया जावेगा ।

दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल

परिशिष्ट - 4

रेत खदानों की प्रथम वर्ष की कार्य योजना

समूह का नाम - -----

उप कार्यालय - -----, जिला - -----, तहसील - -----,

निर्धारित मात्रा ----- घनमीटर

स.क्र.	माह	निर्धारित मात्रा की प्रथम वर्ष की माह - वार कार्ययोजना (घनमीटर)
1-	जनवरी	
2-	फरवरी	
3-	मार्च	
4-	अप्रैल	
5-	मई	
6-	जून	
7-	जुलाई	
8-	अगस्त	
9-	सितम्बर	
10-	अक्टूबर	
11-	नवम्बर	
12-	दिसम्बर	

टीप-

1. यह तालिका ऑफर स्वीकार होने के पश्चात बोलीकर्ता से विचार-विमर्श कर निगम द्वारा भरी जावेगी ।
2. यही माह-वार मासिक कार्ययोजना ठेके के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में भी लागू होगी ।

दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल

परिशिष्ट - 5

उप कार्यालय ----- जिला -----

तहसील ----- समूह का नाम - -----

ठेके की राशि के भुगतान की तालिका

स.क्र.	माह	विक्रय की जाने वाली मासिक मात्रा (घनमीटर में)	देय किरत की राशि (रूपये)	पोस्ट डेटेड चैक	
				क्रमांक	दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

टीप :-

1. इस तालिका के स्तम्भ 2, 3 तथा 4 को भरकर आशय पत्र (LOI) के साथ चयनित बोलीकर्ता को भेजा जाएगा। चयनित ऑफरकार स्तंभ 5 एवं 6 को भरकर 12 माह के लिये पोस्ट डेटेड चैकों के साथ अनुबंध करने के पूर्व इस तालिका को निगम को लौटायेगा। यह तालिका अनुबंध का अभिन्न अंग होगी।
2. पोस्ट डेटेड चैकों की राशि की गणना परिशिष्ट-4 की तालिका में दी गई मात्रा के आधार पर की जावेगी।
3. यही तालिका ठेके के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में भी लागू होगी जिसे निगम के संबंधित उपकार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा बोलीकर्ता से पोस्ट डेटेड चैक प्राप्त कर भरा जायेगा।

दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल

परिशिष्ट - 6

उप कार्यालय - -----, जिला - ----- तहसील - -----,

समूह का नाम - -----

रेत उठाव एवं बिक्री का मासिक लेखा

माह 201.....

बोलीकर्ता का नाम.....

खदान का नाम

क्र.सं.	बिल क्रमांक एवं दिनांक	ट्रान्जिट पास क्रमांक एवं दिनांक	उठाई गई मात्रा (घनमीटर में)	बिक्री दर प्रति घनमीटर	कुल राशि 4 x 5
1	2	3	4	5	6
योग-					

टीप:- उठाई गई मात्रा की पुष्टि में बिलों की स्वयं सत्यापित छायाप्रतियाँ संलग्न की जाएगी।

दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल

परिशिष्ट - 7

उप कार्यालय - -----, जिला - -----तहसील - -----,
समूह का नाम - -----

शपथ-पत्र

मैं (नाम)-----पुत्र/पुत्री-----
उम्र----- वर्ष, पता-----
का निवासी हूँ तथा शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मैं ऑफर में व्यक्तिगत हैसियत से अथवा (संस्था का नाम)----- के प्रोपराइटर की हैसियत से ऑफर में भाग ले रहा हूँ ।

शपथग्रहीता

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त कथन मेरे ज्ञान एवं विश्वास अनुसार सत्य है ।
आज दिनांक----- को सत्यापित किया गया ।

स्थान—

शपथग्रहीता

दिनांक—

टीप— यह शपथ पत्र केवल व्यक्तिगत बोलीकर्ता आवश्यक स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड करारकर अनुबंध के पूर्व प्रस्तुत करेंगे ।

अनुबंध प्रारूप
दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल

उप कार्यालय -----, जिला -----,
तहसील - ----, समूह ----- की रेत खदानों से

रेत उठाव एवं बिक्री का अनुबंध

यह अनुबंध, दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि., भोपाल के प्रबंध संचालक (जिसे आगे निगम संदर्भित किया गया है) जिसकी अभिव्यक्ति में जहाँ संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य हो उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित है (प्रथम पक्ष) तथा _____ (जिसे आगे बोलीकर्ता संदर्भित किया गया है) जिसकी अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य हो उसके निष्पादक, प्रबंधक, प्रतिनिधिगण तथा उत्तराधिकारी सम्मिलित हैं (द्वितीय पक्ष) के मध्य, आज दिनांक माह वर्ष को निष्पादित किया जाता है।

जैसा कि :

- (i) प्रबंध संचालक, दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि., द्वारा उप कार्यालय _____ जिला _____ तहसील _____ समूह _____ की रेत खदानों (जिसकी सूची परिशिष्ट-1 में दी गई है) से रेत उठाव एवं बिक्री कराने की बोली दिनांक _____ को आमंत्रित की गई थी।
- (ii) उक्त ई-नीलामी के संदर्भ में प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन कर निगम द्वारा मेसर्स/श्री/_____ की बोली स्वीकार कर आशय पत्र (Letter of Intent) क्र. _____ दिनांक _____ को अन्य बातों के साथ साथ इस अनुबंध को निष्पादित करने के लिए जारी किया गया।
- (iii) निगम 'ई नीलामी' सूचना के प्रावधानों के अनुरूप सफलतम बोलीकर्ता के साथ संदर्भित खदानों से रेत उठाव एवं बिक्री का अनुबंध करने के लिए सहमत हुआ है।
अब इस आधारित तथा आपसी प्रसंविदा, जो कि इसके बाद समाविष्ट है, पर विचार कर दोनों पक्ष अनुबंध करने के लिए सहमत हैं तथा यह अनुबंध निम्न प्रावधानों के लिए साक्ष्य है।

1. कार्यक्षेत्र एवं शर्तें -

ई नीलामी दस्तावेजों के अनुसार।

2. सुरक्षा जमा -

ई नीलामी आमंत्रण सूचना में बोलीकर्ताओं के निर्देश की कंडिका '2.2' अनुसार।
रु0 _____ /- शब्दों में रूपये (_____)। बोलीकर्ता द्वारा निगम में जमा की गयी है।

सुरक्षा जमा की राशि ठेके की पूरी अवधि में निगम के पास जमा रहेगी एवं उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। ठेका सफलतापूर्वक सम्पादित करने पर यदि बोलीकर्ता से कोई

वसूली योग्य राशि शेष न हो तो गुण-दोष के आधार पर संपूर्ण अथवा आंशिक सुरक्षा राशि बोलीकर्ता को यथाशीघ्र ठेका समाप्ति के एक माह के अंदर वापस कर दी जाएगी अथवा संपूर्ण या आंशिक सुरक्षा राशि जप्त की जा सकेगी।

3. **आफर्ड मूल्य तथा अवधि** –निर्धारित अवधि तथा बोलीकर्ता द्वारा ऑफर्ड मूल्य इस ठेके का मूल तत्व होगा। ठेके की अवधि अनुबंध करने की दिनांक से 31-3-2020 तक रहेगी। बोलीकर्ता को इस अवधि में उसके द्वारा ऑफर किया गया मूल्य राशि रु0 -----/- निगम को अदा करना होगा।
4. निर्धारित मात्रा से कम मात्रा उठाने पर ई-नीलामी प्रपत्र में कंडिका 1.5 के प्रावधान लागू होंगे।
5. बोलीकर्ता को निर्धारित मात्रा निर्धारित ठेका अवधि में, ही उठानी होगी। यदि ठेका अवधि में बोलीकर्ता द्वारा निर्धारित संपूर्ण मात्रा बोलीकर्ता द्वारा उठाव एवं बिक्री नहीं की जाती है तब भी उक्त अनुबंधित मूल्य बोलीकर्ता को अनिवार्य रूप से निगम में जमा करना होगा।
6. अनुबंध हस्ताक्षरित करने के पूर्व निम्न दस्तावेज निर्धारित अवधि में निगम में जमा करना अनिवार्य है। जिन दस्तावेजों की छायाप्रतियां दी जावें उन्हें मूल दस्तावेज दिखाकर स्वयं के हस्ताक्षर से प्रमाणित/सत्यापित करना होगा :-
 - (i) आनलाईन रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने की आनलाईन रसीद।
 - (ii) आन लाइन NEFT/RTGS द्वारा अमानत राशि जमा करने की रसीद।
 - (iii) सुरक्षा राशि जमा करने का प्रमाण
 - (iv) आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN) की प्रति
 - (v) वाणिज्यिक सर्टीफिकेट क्रमांक (TIN) की प्रति। यह सर्टीफिकेट यदि उपलब्ध न हो तो अनुबंध के उपरांत वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन कराकर एक माह में उपलब्ध कराना होगा।
 - (vi) बोलीकर्ता का पिछले तीन माहों का बैंक खाता विवरण
 - (vii) परिशिष्ट-2 के अनुसार खदानों के स्थल निरीक्षण संबंधी प्रमाण पत्र।
 - (viii) परिशिष्ट-3 के अनुसार वचन पत्र।
 - (ix) बोलीकर्ता के कॉस्टीट्यूशन संबंधी दस्तावेज की प्रति।
 - 1- व्यक्तिगत के लिये – शपथ पत्र (परिशिष्ट-7 में)
 - 2- साझेदारी फर्म – साझेदारी डीड,
 - 3- कंपनी के लिये – मेमोरण्डम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन
 - (x) वित्तीय वर्ष 2012-13 अथवा वित्तीय वर्ष 2013-14 के आयकर रिटर्न की प्रति।
 - (xi) बोलीकर्ता व्यक्तियों/फर्म/कंपनियों के द्वारा उनके समस्त संचालकों का पूर्ण विवरण यथा- उनके नाम, पते, फोन नं0, मोबाईल नं0, फेक्स नं0 एवं ई-मेल की जानकारी।

7. अनुबंध के अंग –

- (i) ई-नीलामी सूचना (समाचार पत्रों में)
- (ii) विस्तृत ई-नीलामी सूचना
- (iii) बोलीकर्ताओं को निर्देश
- (iv) ठेके की सामान्य शर्तें
- (v) परिशिष्ट 1,2,3,4,5,6,7
- (vi) अनुबंध का प्रारूप
- (vii) बोलीकर्ता द्वारा उपरोक्त कंडिका-6 के अनुसार जमा दस्तावेजों की छायाप्रतियां।
- (viii) सूचना पत्र/आशय पत्र
- (ix) ई-नीलामी प्रपत्र में किये गये समस्त संशोधन
- (x) ई-नीलामी के संबंध में प्री बिड मीटिंग दिनांक 24.04.2015 में प्राप्त सुझाव/प्रश्न एवं उत्तर

8. बोलीकर्ता द्वारा अनुबंध पत्र निष्पादित कराया जाकर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क अदाकर भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत अनुबंध दस्तावेज का पंजीयन स्वयं के व्यय पर कराया जाएगा।

9. अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति (Force Majeure):-

यदि किसी अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति (Force Majeure) जो बोलीकर्ता के नियंत्रण से परे हो तथा इस तथ्य के पर्याप्त प्रमाण हों कि बोलीकर्ता द्वारा ऐसी घटना या परिस्थिति के होते हुये भी उन्हें रोकने, हटाने या टालने के पर्याप्त प्रयास किये गये हों ताकि कार्य निरंतर चलता रहे, के कारण कार्य बाधित हो तो बाधित समयावधि तक बोलीकर्ता के सभी दायित्व स्थगित रखे जायेंगे। बोलीकर्ता ऐसी घटना या परिस्थिति की विस्तृत जानकारी उसके उत्पन्न होने के पूर्व या तुरंत पश्चात् जैसा भी संभव हो पर्याप्त साक्ष्य सहित निगम को देगा तथा कारण (अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति) के समाप्त होने पर निगम को सूचित करते हुये कार्य पुनः प्रारंभ करेगा। निगम द्वारा वांछित तथा तदनुसार बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी, साक्ष्य तथा दस्तावेज के आधार पर प्रबंध संचालक द्वारा निर्णय लिया जायेगा जो अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

यहाँ पर अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति से अभिप्रेत है:- देवीय प्रकोप जैसे बाढ़, महामारी, भूकम्प तथा अकाल इत्यादि तथा अनपेक्षित घटना यथा आम हड़ताल, कर्फ्यू, उपद्रव, आगजनी, दंगा तथा शासन द्वारा लागू प्रतिबंधात्मक धारायें, नियम आदेश या उदघोषण में शासन द्वारा किया गया परिवर्तन आदि।

10 विवादों का निपटारा :-

निगम एवं बोलीकर्ता के मध्य निष्पादित अनुबंध से संबंधित किसी विवाद के निराकरण हेतु विवाद उत्पन्न होने के सात दिवसों के भीतर बोलीकर्ता द्वारा निगम के प्रबंध

संचालक को औपचारिक रूप से लिखित में विवाद का सारभूत अधिसूचित किया जावेगा। अधिसूचित करने के तीस दिवस के भीतर निगम के प्रबंध संचालक संबंधित पक्षों की सुनवाई कर इसका निराकरण कर सकेंगे। यदि निगम के प्रबंध संचालक 30 दिवस में उन्हें संदर्भित किये गये विवाद का समाधान करने में असमर्थ रहते हैं तब ऐसी स्थिति में या बोलीकर्ता प्रबंध संचालक द्वारा निर्णीत समाधान से संतुष्ट न हो तो आरबीट्रेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट 1996 के अंतर्गत संबंधित पक्षों द्वारा विवाद पंच निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जावेगा एवं पंच द्वारा विधि सम्मत निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

11. सभी वैधानिक विवाद भोपाल न्यायालय के अधीन होंगे।

प्रथम पृष्ठ पर उल्लेखित पक्षकारों द्वारा आज दिनांक.....माह वर्ष को हस्ताक्षरित ।

साक्षी -

हस्ताक्षर

01.

प्रभारी अधिकारी
दि एम.पी. स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लि०
उप कार्यालय.....
दिनांक

02.

साक्षी -

हस्ताक्षर

01.

बोलीकर्ता
दिनांक

02.